

अनुबंध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 542817

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपद- भदोही

द्वितीय पक्ष: मेसर्स कृष्णा इन्टर प्राइजेज, निवासी-चौरकला, बिछियां, ऊंज, भदोही।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "बार0बी0एस0के0 योजना" में मेडिकल टीमों के भ्रमण हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/वाहन स्वामी मेसर्स, कृष्णा इन्टर प्राइजेज, निवासी-चौरकला, बिछियां, ऊंज, भदोही की वाहन संख्या- यू0पी0 66 टी 5482 (सामु0स्वा0केन्द्र, औराई), यू0पी0 66 एम 3778(सामु0स्वा0केन्द्र, भदोही), यू0पी0 66 एल 6078(सामु0स्वा0केन्द्र, गोपीगंज), यू0पी0 66 क्यू 0051(जनपद स्तर पर) एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु अनुबन्धित किये जाने हेतु आज दिनांक 01.04.2017 को जनपद-भदोही में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से वित्तीय वर्ष 2017-18 में पी0आई0पी स्वीकृति अथवा अगली निविदा तक जारी रहेगी।


- द्वितीय पक्षकार जिला- भदोही के विकास खण्ड-भदोही में ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- सेवाप्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन. संख्या-यू0पी0 66 टी 5482 (सामु0स्वा0केन्द्र, औराई), यू0पी0 66 एम 3778(सामु0स्वा0केन्द्र, भदोही), यू0पी0 66 एल 6078(सामु0स्वा0केन्द्र, गोपीगंज), यू0पी0 66 क्यू 0051(जनपद स्तर पर) रुपये 25,000/- प्रति माह की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
- वाहन टेक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं तसक्की पर्ति ली

(2)

2. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: — ज्ञानपुर


दिनांक: 16.05.2017


CHIEF MEDICAL OFFICER
हस्ताक्षर.....BHADOHI.....
(प्रथम पक्ष)


हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

गावाह: 1.....

2.....



प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपद, भदोही

द्वितीय पक्ष: मेसर्स, हर्ष इन्टर प्राईजेज, निवासी-अचारी मार्केट, सोनिया तलाब, गोपीगंज, भदोही।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "एनआरएचएम के योजना" में अधिकारियों के भ्रमण हेतु प्रा0स्वा0केन्द्र डीघ में सेवा प्रदाता एजेन्सी/वाहन स्वामी मेसर्स, हर्ष इन्टर प्राईजेज, निवासी-अचारी मार्केट, सोनिया तलाब, गोपीगंज, भदोही द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन संख्या- यू0पी0-66 टी 3993 एवं वाहन संख्या- यू.पी.-66 एल 5607 जनपद स्तर पर अधिकारियों के भ्रमण हेतु अनुबन्धित किये जाने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./लेखा/2014-15/103(4)/11114-75 दिनांक 03.03.2016 द्वारा जारी महत्वपूर्ण गतिविधियों को वर्ष 2016-17 में अनवरत संचालित किये जाने हेतु जनपद- भदोही में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.17 से पी.आई.पी. स्वीकृत होने तक होगी।

- द्वितीय पक्षकार जिला-संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड-भदोही में "एन.आर.एच.एम." योजना के अन्तर्गत भ्रमण हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- सेवाप्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन संख्या- यू0पी0-66 टी 3993, यू.पी. 66 एल 5607 रुपये 25000/- प्रति माह की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
- वाहन टेक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य हैं तथा वाहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।

(2)

2. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घन्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: - ज्ञानपुर

दिनांक: 01.04.2017

हस्ताक्षर.....
(प्रथम पक्ष)
CHIEF MEDICAL OFFICER
गावाह: 1. BHADOHI.

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)
हर्ष इंटरप्राइजेज
2. अचारि मार्केट, सोनिया तालाब
गोपीगंज- भदोही



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबंध पत्र

DN 562431

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपद—संत रविदास नगर भदोही

द्वितीय पक्ष: श्री पंचलाल यादव, निवासी—मझगवां, कोईरौना, संत रविदास नगर भदोही संत रविदास नगर भदोही।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "बार0बी0एस0के0 योजना" में मेडिकल टीमों के भ्रमण हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/वाहन स्वामी श्री पंचलाल यादव, निवासी—मझगवां, कोईरौना, भदोही की वाहन संख्या— यू0पी0—66 टी0 3216 को अनुबन्धित किये जाने हेतु सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से पी0आई0पी स्वीकृति एवं अगली निविदा होने तक होगी।

- द्वितीय पक्षकार जिला—संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड—भदोही में "क्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु" वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- सेवाप्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन. संख्या— यू0पी0—66 टी0 3216 रुपये 25,000/- प्रति माह की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
- वाहन टेक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

(2)

2. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घन्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: - ज्ञानपुर

दिनांक: 25.08.2017

CHIEF MEDICAL OFFICER
हस्ताक्षर BHADOHI
(प्रथम पक्ष)

गावाह: 1.....

हस्ताक्षर पंचलाल मारव
(द्वितीय पक्ष)

2 पंचलाल मारव

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-भदोही

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक: स0सु0 2016-17 / टैक्सी प0 वाहन / मांग पत्र / 2017-18 / 2554 दिनांक: 18, दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु टैक्सी परमिट वाहनों के भौतिक सत्यापन एवं आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016-17 / 01 / 9646-25 दिनांक 15.12.2017 के क्रम में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर लगे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु टैक्सी परमिट वाहन की सूचना एवं अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्नक कर आपकी सेवा सादर प्रेषित है साथ ही वाहनो के व्यय विवरण की स्थिति वर्ष 2016-17 का निम्नवत् है:-

S l. No.	Name of Dis tric t	No. of Blo ck	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Contract Period		Name of Agency/Vehicle's Owner	Name of Moic
						From	to		
1	Block Level	5	BHADOHI	BOLERO	UP66 L 7838	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. V.K.Singh
2			CHC SURIYAWA N	BOLERO	UP 66 T 3512	01/04/2016	31/03/2017	Panch Lal Yadav S/o Nirahu Yadav, Majhgavan Koirauna. Bhadohi	DR.Ashutosh Pandey
3			CHC BHADOHI	BOLERO	UP66 M 3778	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. Mohd. Saud
4			CHC DEEGH	BOLERO	UP66 T 5193	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. Amarbahadur
5			CHC AURAI	EARTIGA	UP66T 5482	01/04/2016	31/03/2017	M/s. Harsh Enterprises]	Dr. Anil Singar

प्रेषक,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-भदोही

सेवा में,
मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक: स0सु0 2016-17 / टैक्सी प0 वाहन/मांग पत्र/ 2017-18/2554 दिनांक: 18, दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु टैक्सी परमिट वाहनों के भौतिक सत्यापन एवं आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016-17/01/9646-25 दिनांक 15.12.2017 के क्रम में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर लगे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु टैक्सी परमिट वाहन की सूचना एवं अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्नक कर आपकी सेवा सादर प्रेषित है साथ ही वाहनो के व्यय विवरण की स्थिति वर्ष 2016-17 का निम्नवत् है:-

S. I. No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Contract Period		Name of Agency/Vehicle's Owner	Name of Moic
						From	to		
1	Block Level	5	BHADOHI	BOLERO	UP66 L 7838	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. V.K.Singh
2			CHC SURIYAWAN	BOLERO	UP 66 T 3512	01/04/2016	31/03/2017	Panch Lal Yadav S/o Nirahu Yadav, Majhgavan Koirauna. Bhadohi	DR.Ashutosh Pandey
3			CHC BHADOHI	BOLERO	UP66 M 3778	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. Mohd. Saud
4			CHC DEEGH	BOLERO	UP66 T 5193	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr. Amarbahadur
5			CHC AURAI	EARTIGA	UP66T 5482	01/04/2016	31/03/2017	M/s. Harsh Enterprises] Achari Market, Soniyatalab, Gopiganj, Bhadohi	Dr. Anil Singar
6	Distt. Level	2	Distt. Level	BOLERO	UP66 L 5607	01/04/2016	31/03/2017		Dr. S.M.Sahai, ACMO
7				BOLERO	UP66 T 5550	01/04/2016	31/03/2017	M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI	Dr.R.K.Maurya, ACMO

भुगतान की स्थिति वर्ष 2016-17 निम्नवत् है:-


वाहन संख्या	राज्य स्तर से प्राप्त धनराशि	देय धनराशि 25000/- प्रति वाहन कुल 12 माह हेतु	वाञ्छित धनराशि
7	14,40,000.00	21,00,000.00	6,60,000.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि सभी वाहनों का संचालन वर्ष पर्यन्त किया गया तथा इनका अनुबन्ध पत्र एवं सूची इस आशय के साथ प्रेषित है कि उचित कार्यवाही कर वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
भदोही

पत्रांक: स0सु0 2016-17 / टैक्सी प0 वाहन / 2017-18 तद्दिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, भदोही।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम. विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, भदोही।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
भदोही